न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 118/2014

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1- दुर्गादेवी पत्नि मदनलाल

2- श्रवणलाल पुत्र तदनलाल

3- रामकुवार पुत्र मदनलाल

4- लिछ्मणराम पुत्र मदनलाल

जातियान-बावरी, निवासी-सिणला

तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

1-मदनलाल पुत्र पुसाराम

जाति-बावरी निवासी-सिणला

तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

राजस्व दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.03/06/2014**

उपस्थित:. 1 श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय:- **दिनॉक: 10/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा-3 बीघा आई हुई हैं, जो दावा का भाग माना जावें। यह कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी के शामलाती कब्जा काश्त की हैं, जिस पर काबिज है। वादीगण के अपने विधिक अधिकारों व कब्जा काश्त से महरुम करने बेदखल करने के उद्देश्य से कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 3 बीघा का बैचान करने बाबत किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं तथा कृषि भूमि के बेचान की कोई ऐसी परिस्थितियाँ नही हैं। फिर भी प्रतिवादी बिना किसी जरूरत कृषि भूमि का बेचान करने पर आमादा है तथा दिनांक 11/05/2014 को ग्राम-सिणला में वादीगण को कृषि भूमि से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी दी। वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा 3 बीघा से बेदखल कर दिया गया, तो वादीगण बरबाद हो जायेगे तथा अपने विविध अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित रह जायेगे एवं भूमि का बैचान व हस्तान्तरण कर दिया, तो वादीगण हमेशा के वास्ते भूमि के कब्जे काश्त व विविध अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। वादीया संख्या 1 प्रतिवादी की धर्मपत्नि है तथा वादी संख्या 2 व 4 प्रतिवादी के पुत्र है। प्रतिवादी को भूमि के बेचान करने से कई बार मना किया है तथा परिवार के लोगों द्वारा भी भूमि के बेचान करने हेतु कहा गया है। परन्तु प्रतिवादी हरहालत में भूमि का बेचान करने पर आमादा हैं व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में यह वाद स्थाई निशेधज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 11/05/2014 को सरहद मौजा-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा-3 बीघा में आई हुई हैं। उसके बेचान करने व वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम-सिणला में उत्पन्न हुआ है, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डगरना में पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में वादीगण एवं प्रतिवादी की जानकारी प्राप्त की। ग्राम-सिणला में कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा-3 बीघा पर काश्त करने पर प्रतिवादी दखल करता हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी कृषि भूमि हैं एवं खातेदार काश्तकार हैं और शराबी होने से उक्त कृषि भूमि को कभी भी रहन बेचान एवं हस्तान्तरण कर सकता हैं। इससे वादीगण उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से अपने हक हकूकों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगें। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-सिणला, पटवार मण्डल-डिगरना, तहसील-जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा-3 बीघा में वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के प्रति0 को रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1– दुर्गादेवी पत्नि मदनलाल
2– श्रवणलाल पुत्र मदनलाल
3– रामकुवार पुत्र मदनलाल
4– लिछमणराम पुत्र मदनलाल
जातियान–बावरी, निवारी–सिणला
तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

1–मदनलाल पुत्र पुसाराम
जाति–बावरी निवारी–सिणला
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

राजस्व दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:118/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सिणला, पटवार मण्डल–डिगरना, तहसील–जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 529 रकबा–3 बीघा में वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त करने, रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के प्रति0 को रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...–....मुबलिक.....–...बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01–00	स्टाम्प वकालतनामा	/
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	03–00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner